पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1709/2019

= = = =

निष्पादित नहीं किया जा सकता है---आगे तर्क यह है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि वाद में उल्लिखित संपत्ति अस्तित्व में नहीं है और अस्पष्ट विवरण और सीमा पर अस्पष्टता के कारण डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है--- निर्णय: डिक्री अमान्य नहीं होगी क्योंकि प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु का तथ्य संबंधित न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया था, जिसके पास मृत्यु पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है और डिक्री पारित कर दी गई --- चूंकि अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार बना हुआ है, इसलिए मुकदमा समग्र रूप से समाप्त नहीं होगा और इसलिए डिक्री अमान्य नहीं होगी --- डिक्री अनियमित हो सकती है, लेकिन अमान्य नहीं ---- मुकदमे की संपत्ति का उल्लेख सुपरिभाषित सीमाओं के साथ किया गया है और निष्पादन न्यायालय मामले में आगे बढ़ सकता है और मुकदमे की भूमि की सीमा तक डिक्री निष्पादित कर सकता है जैसा कि वाद में उल्लेख किया गया है --- मुकदमे की भूमि की पहचान पर कोई अस्पष्टता नहीं है और यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि मुकदमे की संपत्ति पर याचिकाकर्ता का आवासीय घर है ---- विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है --- सिविल विविध याचिका खारिज की जाती है। **(पैरा 3, 14-17)**

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय /आदेश

= = = =

3. निर्णय–ऋणी संख्या 2/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने गलत तरीके से आदेश पारित किया क्योंकि वह यह समझने में विफल रहा कि निष्पादन कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि निर्णय और डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई थी और इस कारण से, निर्णय और डिक्री अमान्य हैं और उन्हें कानून की प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 7 (एफ), अर्थात् सगीता देवी की मृत्यु 08.09.2016 के निर्णय और डिक्री से पहले 13.03.2015 को हो गई थी, लेकिन उसके स्थान पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किए बिना और उसके नाम को वाद से हटाए बिना, निर्णय और डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित हो गई, जिससे डिक्री अमान्य हो गई और निष्पादन योग्य नहीं रही। अपने इस तर्क के समर्थन में कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री अमान्य है, विद्वान अधिवक्ता ने ***गुरनाम सिंह (डी) बनाम गुरबचन कौर (डी) एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जो **2017 (2) पीएलजेआर 414 (एससी)** में रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा, विद्वान निष्पादन अदालत यह विचार करने में विफल रही कि वाद में उल्लिखित संपत्ति अस्तित्वहीन है और अस्पष्ट विवरण और सीमा पर अस्पष्टता के कारण डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि भूमि अस्तित्वहीन और पहचान योग्य नहीं है और मुकदमे की भूमि की कोई अलग पहचान नहीं है और याचिकाकर्ता के आवासीय घर का हिस्सा होने के कारण आंशिक क्षेत्र और प्लॉट संख्या का सीमांकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन विद्वान निष्पादन अदालत ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों का दावा और बचाव प्रथम सेट संयुक्त और अविभाज्य है, इसलिए संगीता देवी की मृत्यु और उनके उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन न होने के कारण, वाद अयोग्य हो गया और वाद में पारित निर्णय कानून की दृष्टि में अवैध और बुरा है और उसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने विवादित संपत्ति के अस्तित्व न होने के बारे में याचिकाकर्ता के दावे का उत्तर नहीं दिया और जवाबी हलफनामे में अनुसूची–ए की संपत्ति के अस्तित्व न होने के तथ्य के बारे में कोई विशेष इनकार नहीं किया है, जो कि टालमटोल के रूप में स्वीकारोक्ति के बराबर है। यहां तक कि जवाबी हलफनामे में दी गई संपत्ति की सीमा भी वाद की अनुसूची–ए में उल्लिखित विवादित भूमि की सीमा से मेल नहीं खाती है, जो दर्शाता है कि वाद की अनुसूची–ए में दी गई उक्त भूमि का विवरण झूठा और काल्पनिक है। वादीगण ने वादपत्र के साथ कोई स्केच मैप प्रस्तुत नहीं किया है और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने किसी भी नक्शे पर विचार नहीं किया। हालांकि, काउंटर हलफनामे के अनुलग्नक ए पर भरोसा करना जो एक मोटा स्केच मैप है, गलत

है। इसके अलावा, यह वादपत्र की अनुसूची–ए में उल्लिखित सीमा के अनुरूप नहीं है। मुकदमे की भूमि का कोई अलग ब्लॉक नहीं है, बल्कि इसे याचिकाकर्ता के घर के साथ मिला दिया गया है। यहां तक कि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने भी मुकदमे की संपत्ति के अस्तित्व के बारे में पता लगाने के संबंध में विवादित आदेश में निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख नहीं किया है और इस कारण से विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाना उचित नहीं है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों/वादी/डिक्री धारकों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और विद्वान निष्पादन न्यायालय ने अपने समक्ष तथ्यों पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दावा है कि संगीता देवी की मृत्यु 13.03.2015 को हुई थी और इसकी पुष्टि बिहार राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होती है जिसे याचिकाकर्ता ने 27.02.2018 को प्राप्त किया था। हालांकि, शीर्षक अपील संख्या 14/2017 में दायर अपील के ज्ञापन में याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि संगीता देवी की मृत्यु निर्णय और डिक्री से 10 वर्ष पूर्व हो गई थी जो सत्य नहीं हो सकता क्योंकि डिक्री 08.09.2016 को जारी की गई है। यदि निर्णय–ऋणीगण अच्छी तरह जानते थे कि संगीता देवी मर चुकी है और इसलिए प्रतिवादी के रूप में, वे मृत व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही पर आपत्ति कर सकते थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान याचिका श्याम नारायण सिंह के साथ–साथ संगीता देवी की मृत्यु के बारे में गलत प्रस्तुतिकरण पर दायर की गई है। प्रतिवादी संख्या 7 के प्रतिस्थापन के लिए एक याचिका 10.01.2012 को दायर की गई थी और इसे 03.02.2012 को अनुमति दी गई थी और उस समय भी याचिकाकर्ता की ओर से संगीता देवी को वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों में से एक के रूप में गलत तरीके से प्रतिस्थापित करने का कोई सवाल नहीं उठाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित डिक्री न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई जाती है तो वह अमान्य नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित करना केवल एक अनियमितता है और यह प्रारंभ से ही अमान्य नहीं होगी और ऐसी डिक्री निष्पादन योग्य है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति की मृत्यु के तथ्य की अनदेखी करते हुए मामले को आगे बढ़ाता है और डिक्री पारित करता है, तो डिक्री को अमान्य नहीं माना जा सकता। यह गलत डिक्री हो सकती है, लेकिन फिर इसे अपील या पुनरीक्षण जैसी उचित कार्यवाही करके रद्द करना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता/निर्णय–ऋणी ने पहले ही टाइटल सूट संख्या 171/2007 में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ टाइटल अपील पेश की है और उनके पास उक्त अपील में ऐसे सभी बिंदुओं को उठाने का पूरा अवसर है। वर्तमान याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिकाकर्ता

अलग फोरम के समक्ष अपना भाग्य आजमा रहा है और यदि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता की अपील निष्फल हो जाएगी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा **गुरनाम सिंह** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। उपरोक्त निर्णय **किरण सिंह एवं अन्य बनाम चमन पासवान एवं अन्य** के निर्णय पर आधारित है, जिसे **एआईआर 1954 एससी 340** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि न्यायालय द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया निर्णय अमान्य है और बिना अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को वित्तीय या क्षेत्रीय या उनकी कार्रवाई के विषय–वस्तु के संबंध में अधिकार क्षेत्र के दोष के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। अधिकार क्षेत्र के ये तीन दोष हैं जो न्यायालय के किसी भी डिक्री को पारित करने के अधिकार पर प्रहार करते हैं और इस तरह के दोष को पक्षों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात की गलत व्याख्या की और यह धारणा दी कि किसी प्रतिस्थापन के अभाव में मुकदमा स्वतः ही समाप्त हो गया है और प्रतिवादी संगीता देवी की अनुपस्थिति में पारित डिक्री की वैधता पर वर्तमान निष्पादन कार्यवाही में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, यह मुकदमा समग्र रूप से समाप्त नहीं होगा क्योंकि अन्य प्रतिवादी भी मृतक प्रतिवादी के पर्याप्त हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उपस्थित थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि निष्पादन न्यायालय निष्पादन के अधीन डिक्री से आगे या निष्पादन के अधीन डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। इस कारण से, याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि विद्वान निष्पादन न्यायालय के पास इस प्रकार की याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के समक्ष अस्वीकृति के आदेश का विरोध करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दोहराया कि निष्पादन की वैधता और सत्यता पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है और केवल वही न्यायालय यह तय कर सकता है कि निष्पादन में डिक्री निष्पादन योग्य है या नहीं।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने **हिमांशु भूषण कर एवं अन्य बनाम मनिंद्र मोहन साहा** के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 7 का हवाला दिया, जो **एआईआर 1954 कैल 205** में रिपोर्ट किया गया था, इस बिंदु पर कि मृत व्यक्ति के पक्ष में पारित डिक्री अमान्य नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने **रददुलाल भूरमल एवं अन्य बनाम महाबीरप्रसाद बिसेसर कलवार एवं अन्य** के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के पारा 5 का हवाला देते हुए **एआईआर 1959 बॉम्बे 384** में रिपोर्ट किया था, इस बिंदु पर जोर दिया कि यदि न्यायालय किसी व्यक्ति की मृत्यु के तथ्य की अनदेखी करते हुए मामले को आगे बढ़ाता है और डिक्री पारित करता है, तो उस डिक्री को अमान्य नहीं माना जा सकता। यह एक गलत डिक्री हो सकती है, लेकिन उचित कार्यवाही करके इसे रद्द करना होगा।

7.विद्वान अधिवक्ता ने आगे इस बात पर जोर देने के लिए **अब्दुल अजीज साहिब बनाम धना–बगीअम्मल और अन्य** के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 3 पर भरोसा किया कि एक मृत व्यक्ति के पक्ष में पारित डिक्री अमान्य नहीं है और जब अदालत ने डिक्री पारित की तो मृत्यु के तथ्य को अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया तो यह केवल एक अनियमितता है और यह डिक्री को शुरू से ही शून्य नहीं बना सकता है और डिक्री निष्पादन योग्य है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मुकदमे की संपत्ति अस्तित्व में नहीं है, यह टिकने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों/प्रतिवादियों/डिक्रीधारकों को बेदखल कर दिया और पूरी जमीन पर घर बना लिया और अब वे दावा कर रहे हैं कि जमीन पहचान योग्य नहीं है। वाद की भूमि प्लॉट संख्या 356 का 3 कट्ठा 10 धूर है। निर्णय ऋणदाताओं ने वादी/डिक्री धारकों को जबरन बेदखल कर दिया। निर्णय ऋणदाताओं ने ही वाद की भूमि की विशेषताओं को बदल दिया और उसे अपनी भूमि में मिला लिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वाद की अनुसूची–ए से वाद की भूमि की पहचान में कोई अस्पष्टता नहीं दिखती है क्योंकि अनुसूची में स्पष्ट सीमा दी गई है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के किसी भी दावे के बावजूद, वाद की संपत्ति अस्तित्व में है और निश्चित रूप से पहचान योग्य है। प्रतिवादियों ने पहले प्रतिवादी तृतीय पक्ष और बिहार राज्य के खिलाफ शीर्षक वाद संख्या 129/2002 दायर किया था ताकि उसी अनुसूची–ए संपत्ति के खाता संख्या 4142 के सर्वे प्लॉट संख्या 356 के अंतर्गत 1 कट्ठा 10 धुर क्षेत्र से संबंधित बिहार के राज्यपाल के पक्ष में प्रतिवादी तृतीय पक्ष द्वारा विधिवत निष्पादित दिनांक 12.06.2000 के उपहार विलेख को रद्द किया जा सके। उक्त शीर्षक वाद के वाद में प्रतिवादियों ने पैराग्राफ 13 में उनके हिस्से में आवंटित 2 कट्ठा 10 धुर भूमि के अस्तित्व के बारे में स्वीकार किया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पक्का मकान बनाया है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं, इस कारण से प्रतिवादी प्रथम और द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के 356 की पश्चिमी दीवार से परे प्लॉट संख्या 356 में भूमि के किसी भी हिस्से पर अपने शीर्षक और कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं।

9. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने **वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजाभाई अब्दुल रहमान और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जो **एआईआर 1970 एससी 1475** में रिपोर्ट किया गया था, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय डिक्री से पीछे नहीं जा सकता है और इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है कि डिक्री कानून या तथ्यों के आधार पर गलत थी और पारा 6 का हवाला दिया जो इस प्रकार है:

> *"डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के पीछे नहीं जा सकता; उसे डिक्री को उसके स्वरूप के अनुसार लेना चाहिए, तथा इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता कि डिक्री कानून या तथ्यों के आधार पर गलत थी। जब तक कि उसे अपील या पुनरीक्षण में उचित कार्यवाही द्वारा अलग नहीं कर दिया जाता, तब तक डिक्री भले ही वह गलत क्यों न हो, पक्षों के बीच बाध्यकारी होती है।"*

10. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने **भवरलाल भंडारी बनाम मेसर्स यूनिवर्सल हैवी मैकेनिकल लिफ्टिंग एंटरप्राइजेज** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसे **एआईआर 1999 एससी 246** में फिर से रिपोर्ट किया गया, इस बिंदु पर कि क्या निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है, जिसने बदले में **वासुदेव धनजीभाई मोदी** (सुप्रा) को संदर्भित किया।

11. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि यह स्थापित कानून है कि यदि बचाव का कोई बिंदु किसी पक्ष द्वारा सिविल मामले में निर्णायक चरण में जानबूझकर या जानबूझकर छोड़ दिया गया है, तो उसे बाद में पक्ष की इच्छा पर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **एन. जयराम रेड्डी और अन्य बनाम राजस्व संभागीय अधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कुरनूल** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जो (1979) 3 एससीसी 578 में रिपोर्ट किया गया था।

12. इस प्रकार, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि ऐसा कोई दोष नहीं है जो विवादित आदेश में हस्तक्षेप करे और इस न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि यदि संगीता देवी की मृत्यु 13.03.2015 को हुई और डिक्री 08.09.2016 को पारित की गई, तो स्पष्ट रूप से डिक्री एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई और यह अमान्य हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आपत्ति हमेशा

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 22 के अंतर्गत दायर की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने दो आपत्तियां उठाईं, एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित किए जाने के संबंध में और दूसरी वादी के दावे के अनुसार भूमि की पहचान संभव नहीं होने के संबंध में। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बिना कोई कारण बताए आपत्ति याचिका दिनांक 03.02.2018 को खारिज कर दी और मामले में कार्यवाही शुरू कर दी, जो पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।

14. मैंने मामले में शामिल मुद्दे पर पक्षों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतिकरण पर अपना गहन विचार किया है। याचिकाकर्ता ने दो आधारों पर डिक्री के गैर–निष्पादन के संबंध में विद्वान उप न्यायाधीश–7, बेगूसराय के आदेश पर आपत्ति जताई है। पहला आधार यह है कि डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई थी और दूसरा आधार यह है कि मुकदमे की संपत्ति पर अस्पष्टता है और डिक्री को निष्पादित करने के लिए कोई संपत्ति मौजूद नहीं है। हालाँकि, मेरे विचार में, दोनों ही दलीलें आकर्षक लगने के बावजूद दिखावटी हैं। इस मुद्दे पर बहुत जोर दिया गया है कि डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई थी। यदि ऐसी डिक्री तब पारित की गई थी जब प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो गई थी, तो प्रतिवादियों का यह भी कर्तव्य था कि वे इस तथ्य को संबंधित अदालत के संज्ञान में लाएं। यदि प्रतिवादियों ने प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु के बारे में संबंधित अदालत के संज्ञान में नहीं लाया और ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु के समय और तारीख के बारे में भी अलग–अलग दावे किए, तो प्रतिवादी वादी से यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे उनमें से एक की मृत्यु के बारे में अदालत को अवगत कराएंगे? फिर इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वादी/डिक्री धारकों ने जानकारी होने के बावजूद प्रतिवादी संगीता देवी की मृत्यु के तथ्य को अदालत के संज्ञान में नहीं लाया। इसके अलावा जब अदालत ने प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु के तथ्य की अज्ञानता में मामले में कार्यवाही की, तो जाहिर है कि डिक्री अमान्य नहीं होगी। यदि डिक्री अमान्य नहीं है, तो निष्पादन अदालत को ऐसी डिक्री निष्पादित करने की आवश्यकता होती है जब तक कि इसे किसी सक्षम अदालत द्वारा उचित कार्यवाही में रद्द नहीं किया जाता है। यह भी प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संगीता देवी की मृत्यु 13.03.2015 को हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र 27.02.2018 को प्राप्त किया गया है। दूसरी ओर, शीर्षक अपील संख्या 14/2017 में, उसी याचिकाकर्ता ने कहा है कि संगीता देवी की मृत्यु शीर्षक वाद संख्या 171/2007 में निर्णय से 10 वर्ष पहले हुई थी। दोनों ही बातें सच नहीं हो सकतीं। अगर प्रतिवादियों को संगीता देवी की मौत के बारे में पता था, तो उन्होंने मृत व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही के बारे में कोई चिंता नहीं जताई। साथ ही, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि वादी–डिक्री धारकों ने जानबूझकर मृत प्रतिवादी को रिकॉर्ड पर रहने नहीं दिया।

इसके अलावा, यह मुकदमा केवल मृतक संगीता देवी या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ ही समाप्त होगा, सभी प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं। इस कारण से, मुकदमा समग्र रूप से समाप्त नहीं होगा और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ डिक्री अमान्य नहीं होगी क्योंकि ऐसे प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार बना हुआ है।

15. इसके अलावा, इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि याचिकाकर्ता ने संगीता देवी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटाए जाने या उनके स्थान पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित नहीं किए जाने के बारे में सुनवाई के समय अपनी आपत्ति छोड़ दी है, तो इसे याचिकाकर्ता की सुविधा के अनुसार विशेष रूप से डिक्री के निष्पादन के समय नहीं लिया जा सकता है। दूसरी ओर, चूंकि याचिकाकर्ता पहले से ही शीर्षक अपील संख्या 14/2016 में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष है, इसलिए उसके पास मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री होने का मुद्दा उठाने का पूरा अवसर है।

16. इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि डिक्री अमान्य नहीं होगी, क्योंकि संगीता देवी की मृत्यु का तथ्य संबंधित न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया था, जिसके पास संगीता देवी की मृत्यु पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है और उसने डिक्री पारित कर दी। इसके अलावा, चूंकि अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार बना हुआ है, इसलिए मुकदमा समग्र रूप से समाप्त नहीं होगा और इसलिए डिक्री अमान्य नहीं होगी। इस कारण से, डिक्री अनियमित हो सकती है, लेकिन अमान्य नहीं हो सकती, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन प्राधिकारों पर भरोसा किया गया है, वे याचिकाकर्ता के मामले में कोई मदद नहीं कर सकते।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एक और तर्क यह है कि जिस संपत्ति के लिए डिक्री जारी की गई है, वह मौजूद नहीं है। मैं यह समझने में असफल रहा कि याचिकाकर्ता की ओर से किस आधार पर यह दावा किया गया है कि वाद की अनुसूची–ए में वाद भूमि का विवरण गलत और काल्पनिक है। वाद संपत्ति का उल्लेख सुस्पष्ट सीमाओं के साथ किया गया है तथा वादी–डिक्री धारकों का यह मामला है कि प्रतिवादियों ने वाद संपत्ति को अपनी भूमि के साथ मिला लिया है, स्वाभाविक रूप से वाद संपत्ति की प्रकृति में परिवर्तन होगा। इसलिए, वाद संपत्ति के संबंध में वाद की अनुसूची–ए में उल्लिखित सीमा की सहायता से भूमि की पहचान स्थापित की जाएगी। प्रतिवादियों की ओर से उन्हीं प्रतिवादियों द्वारा दायर शीर्षक वाद संख्या 129/2002 के बारे में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूखंड संख्या 356 पर उनके हिस्से में आवंटित 2 कट्ठा

10 धुर भूमि के अस्तित्व के बारे में स्वीकारोक्ति है, जिस पर उन्होंने एक पक्का मकान बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने वाद भूमि से डिक्री धारकों को बेदखल करने तथा उक्त भूमि को याचिकाकर्ता की भूमि के साथ मिलाने का लाभ उठाया है। अतः निष्पादन न्यायालय मामले में आगे बढ़ सकता है तथा वाद में उल्लिखित वाद भूमि की सीमा तक डिक्री निष्पादित कर सकता है तथा मुझे नहीं लगता कि वाद भूमि की पहचान पर कोई अस्पष्टता है तथा यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि वाद संपत्ति पर याचिकाकर्ता का आवासीय घर है।

18. अतः पूर्व में की गई चर्चा के आलोक में मुझे निष्पादन वाद संख्या 1/2016 में विद्वान उप न्यायाधीश–7, बेगूसराय द्वारा पारित दिनांक 04.12.2018 के विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से क्षेत्राधिकार में कोई त्रुटि न पाते हुए इसकी पुष्टि की जाती है।

19. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पाण्डेय/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।